

## राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थागण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थी एवं प्रत्यर्था विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक/ अधिवक्ता का नाम	आलोच्य आदेश दिनांक
1.	2611/2023 रतनलाल कुम्हार	1. राजस्थान सरकार जरिये निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।	04.10.2023	श्री पुष्पेन्द्र सिंह, अभिभाषक एवं श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता	19.09.2023
2.	2612/2023 प्रतिभा कुमारी	2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।			
3.	2613/2023 जगदीश योगी	3. निदेशक (प्रशासन) समेकित बाल विकास सेवाए राजस्थान, जयपुर।			
4.	2615/2023 सरिता	4. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, जयपुर।			
5.	2618/2023 सुमन कुमारी रैगर				
6.	2623/2023 सन्तोष वर्मा				
7.	2624/2023 ललिता वर्मा				
8.	2625/2023 बिमला बैरवा				
9.	2629/2023 प्रेमराज मीना				
10.	2632/2023 गोपाल लाल शर्मा				
11.	2634/2023 आलोक ढाका				

आदेश की दिनांक : 29.11.2023

समक्ष :- शुचि शर्मा, सदस्य  
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

### आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 2611/2023 रतनलाल कुम्हार बनाम राजस्थान सरकार जरिये निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्था विभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.09.2023 को अपीलार्थी की सीमा तक निरस्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थागण को अपीलार्थी की राज्यस्तरीय वरिष्ठता सूची के अनुसार एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत विकल्प पत्र अनुसार गृह जिला अलवर आवंटन के आदेश फरमाने हेतु निर्देशित करने एवं दौराने अपील उत्पन्न होने वाले वेतन, भत्ते, अन्य लाभ/परिलाभ पर भी उचित आदेश फरमाया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :-

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 19.01.2022 को पूर्व प्राथमिक शिक्षक के पद पर ऑगन बाडी पाठशाला बेंडक्या परियोजना, अटरू जिला बारां में हुई थी। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 19.09.2023 द्वारा राज्य सरकार के आदेश दिनांक 24.11.2022 की पालना में निदेशक, समेकित बाल विकास विभाग जयपुर के अधीन कार्यरत पूर्व प्राथमिक शिक्षक को शिक्षा विभाग के अधीन महात्मा गांधी (अंग्रेजी माध्यम) राजकीय विद्यालय में संचालित बाल वाटिका में समायोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। जिसकी अनुसरण/अनुपालना में प्रत्यर्थीगण ने जिलावार वरिष्ठता तथा विकल्प पत्र की प्राथमिकता के आधार एवं अधिशेष के आधार पर जिला आवंटन किया जा रहा है। उक्त संबंध में पारित आदेश दिनांक 19.09.2023 के द्वारा अपीलार्थी का नाम जिला आवंटन सूची में क्रमांक 1231 पर जिला बारां का आवंटन किया गया है। अपीलार्थी का चयन भी उक्त पद पर पूर्व प्राथमिक शिक्षक में राज्य स्तरीय काउन्सिलिंग के आधार पर हुआ है एवं अपीलार्थी उक्त काउन्सिलिंग में वरिष्ठता क्रमांक 20181460 जिसके अनुसार उसे गृह जिला अलवर आवंटन किया जाना था किंतु प्रत्यर्थीगण ने राज्य स्तरीय वरिष्ठता एवं विकल्प पत्र की प्राथमिकता को नजरअंदाज करते हुए अपीलार्थी को पूर्व कार्यस्थल अथवा जिला बारां में समायोजित करने का आक्षेपित आदेश पारित किया है, जो नियम विरुद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.09.2023 को अपीलार्थी की सीमा तक निरस्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थीगण को अपीलार्थी की राज्यस्तरीय वरिष्ठता सूची के अनुसार एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत विकल्प पत्र अनुसार गृह जिला अलवर आवंटन के आदेश फरमाने हेतु निर्देशित करने एवं दौराने अपील उत्पन्न होने वाले वेतन, भत्ते, अन्य लाभ/परिलाभ पर भी उचित आदेश फरमाया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत न करते हुए मौखिक रूप से बहस की है कि अपीलार्थी पूर्व प्राथमिक शिक्षक के पद पर कार्यरत है जो पूर्व निदेशक, समेकित बाल विकास विभाग के अधीन कार्यरत था। माननीय मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के बिंदू संख्या 230 एवं राज्य सरकार के पत्रांक :- प. 4(15) शिक्षा-1/बाल वाटिका/2022 जयपुर दिनांक 24.11.2022 की पालना में निदेशक, समेकित बाल विकास विभाग, जयपुर के अधीन

कार्यरत पूर्व प्राथमिक शिक्षकों को शिक्षा विभाग के अधीन महात्मा गांधी (अंग्रेजी माध्यम) संचालित बाल वाटिका में समायोजन के निर्देश प्रदान किये गये। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 12.01.2023 (जिसमें दोनों विभाग के विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर हैं) के द्वारा संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी (समेकित बाल विकास सेवाएं) को तत्काल इस श्रेणी के अध्यापकों को वर्तमान पदस्थापन जिले से संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय को कार्यमुक्त करने के निर्देश प्रदान किये गये साथ ही संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय को पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यग्रहण करवाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। अपीलार्थी पूर्व से बारां जिले में ही कार्यरत था, अतः निर्देशानुसार अपीलार्थी का जिला आवंटन परिवर्तन नहीं करते हुए अपीलार्थी को मूल कार्यरत जिले बारां में ही पदस्थापित रखा गया है। अतः प्रस्तुत अपील के माध्यम से अपीलार्थी कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। उपलब्ध रिक्त पदों के अनुसार मिनीमम रिशफल के आधार पर कार्मिकों को उनके पूर्व कार्यरत जिलों में ही समायोजित किया गया है। अपीलार्थी पूर्व से बारां जिले में ही कार्यरत था तथा प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थी को बारां जिले में ही समायोजित करने की कार्यवाही सक्षम स्तर से प्राप्त निर्देशानुसार ही संपादित की गई है। अतः अपील अपीलार्थी मय स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 19.01.2022 को पूर्व प्राथमिक शिक्षक के पद पर ऑगन बाडी पाठशाला बेंडक्या परियोजना अटरू, जिला बारां में हुई थी। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जिलावार वरिष्ठता तथा विकल्प पत्र की प्राथमिकता के आधार एवं अधिशेष के आधार पर जिला आवंटन किया जा रहा है। उक्त संबंध में पारित आदेश दिनांक 19.09.2023 के द्वारा अपीलार्थी का नाम जिला आवंटन सूची में क्रमांक 1231 पर जिला बारां का आवंटन किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के विकल्प पत्र के आधार पर आलोच्य आदेश दिनांक 19.09.2023 के द्वारा अपीलार्थी को गृह जिला अलवर पदस्थापित नहीं किए जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि वरिष्ठतानुसार ही कार्मिकों को जिला आवंटित किया गया है और अपीलार्थी को बारां जिला आवंटित किया गया है और बारां जिले में ही उसको स्थानान्तरित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को दिया गया

विकल्प पत्र के आधार पर पदस्थापित नहीं किए जाने का प्रश्न है, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज/प्रमाण/विकल्प पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि अपीलार्थी द्वारा भरे गए विकल्प पत्र के आधार पर पदस्थापन/स्थानान्तरण नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी के इस तर्क में हमें कोई बल प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती हैं।

मूल आदेश अपील संख्या 2611/2023 रतनलाल कुम्हार बनाम राजस्थान सरकार जरिये निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य समस्त पत्रावलियों में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)  
सदस्य

(शुचि शर्मा)  
सदस्य